बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सं0–भवन/स्था–02–विविध–16/2020..........3606 (भ)....../पटना, दिनांक–18.6.20

अधिसूचना

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के भवनों (आवासीय/गैरआवासीय) के निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का दायित्व भवन निर्माण विभाग का है। उक्त कार्यो के निष्पादन के लिए यह आवश्यक है कि विभाग में कार्यशील अभियंता पूरी निष्ठा से कार्यरत रहे। राज्य में सुशासन के कार्यक्रम के तहत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य के प्रति निष्ठावान बनाये रखने एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए Zero Tolerance की नीति अपनायी गयी है, जिसके तहत प्रत्येक सरकारी सेवक का यह दायित्व है कि वे अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर द्रुतगामी तरीके से अपनी योग्यता, कर्मठता एवं अनुशासन के साथ समयबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन करें।

(2) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(i) में प्रत्येक सरकारी सेवकों के प्रसंग में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हरेक सरकारी सेवक पूरी शील निष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेंगे तथा ऐसा कोई काम न करेंगे जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। बिहार सेवा संहिता के नियम 74 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे सरकारी सेवकों जिसकी कार्य क्षमता या आचार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाये रखना न्याय संगत हो, उन्हें 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर लोक हित में उस सरकारी सेवक को राज्य सरकार सेवानिवृत्ति करा सकती है।

(3) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत 50 (पचास) वर्ष से अधिक आयु वाले अत्यधिक खराब कार्य–कलाप/प्रदर्शन वाले अभियंत्रण संवर्ग के कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों यथा कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को बिहार सेवा संहिता के नियम–74 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने के बिन्दु पर विभागीय प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–03.06.2020 एवं 04.06.2020 को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ–साथ अभियंत्रण संवर्ग के वरीय पदाधिकारी शामिल थे। बैठक में नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन, विभागीय आंतरिक निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन तथा अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त अत्यधिक खराब कार्य–कलाप/प्रदर्शन वाले वैसे कुल छः (06) अभियंताओं को चिन्हित किया गया, जिनकी कार्य दक्षता या आचार ऐसा नहीं है, जिससे उन्हें सेवा में बनाये रखना लोकहित में उचित है। चिन्हित किये गये उक्त अभियंताओं को पूर्व में भी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से कार्य–कलाप में सुधार, पदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु बार–बार सचेत किये जाने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का अक्षरशः पालन हेतु निदेश दिये जाने के वावजूद भी उनके कार्य–कलाप तथा पदीय दायित्व निर्वहन में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो पाया है। साथ ही इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों एवं सरकार के निदेश की लगातार अवहेलना की गयी है। तद्आलोक में सर्वसम्मति से बिहार सेवा संहिता के नियम–74 के तहत उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गयी।

(4) उक्त बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय एवं इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा दी गयी सहमति तथा राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–16.06.2020 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–09 के रूप में प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम–74 के तहत 50 (पचास) वर्ष से अधिक आयु वाले अत्यधिक खराब कार्य–कलाप/प्रदर्शन वाले निम्नांकित छः (06) अभियंताओं को लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती हैः–

(i) श्री राकेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल सं0–2, पटना।
(जन्मतिथि/सेवानिवृति की तिथि–05.11.1966/30.11.2026)

(ii) श्री कुमार राजेश, तकनीकी सलाहकार (कार्यपालक अभियंता), संरचना अंचल, पटना।
(जन्मतिथि/सेवानिवृति की तिथि–10.07.1966/31.07.2026)

(iii) श्री सतीश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल सं0–2, पटना।
(जन्मतिथि/सेवानिवृति की तिथि–01.07.1964/30.06.2024)

कृ0पृ0उ0...............

D:/Sanjay Kr. Alok /Old and New Work Folder/DRAFT-SEC-2 UPTO 01-01-2020/GAZZT.EST.doc

(iv) श्री रवि प्रकाश, प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), भवन प्रमण्डल, सीतामढ़ी। (जन्म तिथि/सेवानिवृति की तिथि–26.07.1963/31.07.2023)

(v) श्री श्याम सुन्दर शर्मा, कनीय अभियंता, भवन प्रमण्डल, गया। (जन्म तिथि/सेवानिवृति की तिथि–15.08.1961/31.08.2021)

(vi) श्री प्रवीण पंडित, कनीय अभियंता, संरचना प्रमण्डल, दरभंगा। (जन्म तिथि/सेवानिवृति की तिथि–26.12.1969/31.12.2029)

(5) बिहार सेवा संहिता के नियम–74 में निहित प्रावधान के तहत उपर्युक्त अनिवार्य सेवानिवृत्त अभियंताओं को निवृत्ति पेंशन, मृत्यु–सह–निवृत्ति उपदान एवं अन्य सेवान्त लाभ के साथ–साथ तीन माह का वेतन एवं भत्ते का लाभ देय होगा।

(6) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/6/20

(सतीश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था–02–विविध–16/2020 3604 (अ) **पटना, दिनांकः–** 18.6.20

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उक्त अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/6/20

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था–02–विविध–16/2020 3604 (अ) **पटना, दिनांकः–** 18.6.20

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/20

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था–02–विविध–16/2020 3604 (अ) **पटना, दिनांकः–** 18.6.20

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/20

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था–02–विविध–16/2020 3604 (अ) **पटना, दिनांकः–** 18.6.20

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, राजस्व पर्षद, बिहार/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निगरानी विभाग/लोकायुक्त, बिहार/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/संबंधित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/20

सरकार के अपर सचिव।

D:/Sanjay Kr. Alok /Old and New Work Folder/DRAFT-SEC-2 UPTO 01-01-2020/GAZZT.EST.doc